तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत बिशनपुरा

प्रार्थना–पत्र सं. 26 / 2018

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान -2018

उनवान

ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम,1956

[illegible].06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बिशनपुरा में पेश हुई। आवेदकगण उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया है। प्रकरण लोक अदालत की भावना से आदेश मे लिया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण ओमप्रकाश, रणवीर, सुरेन्द्र पुत्रगण गोदाराम के आधार कार्ड, राशन कार्ड में पिता का नाम गिदाराम दर्ज है तथा मतदाता सूची क्रमांक 1275, 1272, 1270 उक्त आवेदको के पिता का नाम गिदाराम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2045–48 खाता संख्यां 10 मे भी प्रार्थीयों के पिता का नाम गिदाराम दर्ज है। मजमे आम में व आवेदकगण के शपथ–पत्र मे भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम गिदाराम होना आवेदगण ने अंकित किया है। जिसके ताईद सरपंच ग्राम पंचायत बिशनपुरा द्वारा की गई है। उपर्युक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दोरादास पटवार मण्डल बिशनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 11 मे गोदाराम के स्थान पर गिदाराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फर्द अहकाम दस्ती पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज)

Scanned by CamScanner